बिहार राज्य से प्राप्त विद्यालय अनुश्रवण समेकन प्रपत्र पर टिप्पणीयाँ

क्वार्टर : द्वितीय

वर्ष 2014-15

गुणवत्ता अनुश्रवण प्रपत्र (Quality Monitoring Tools) **पर बिहार राज्य द्वारा गई जानकारी का विश्लेषण किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन / निगरानी करने के लिए बिहार द्वारा अलग से गुणवत्ता अनुश्रवण प्रपत्र विकसित किया गया है जो कि संक्षिप्त है। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित अनुश्रवण प्रपत्रों में** (QMTs) **आर.टी.ई. एक्ट**-2009 (RTE Act, 2009) , **के मानकों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। है। और ये प्रपत्र प्रतिपुष्टी** (feedback) **आधारित हैं। राज्य द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र केवल सूचना संकलन हेतु प्रतीत होता है। शिक्षा के समग्र मूल्यांकन के लिए राज्य एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित** QMTs (Quality Monitoring Tools) **का उपयोग कर सकता हैं।**

यदि आवश्यक हो तो QMTs में आवश्यकतानुसार परिर्वतन किया जा सकता है। राज्य द्वारा भेजी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए जा रहे हैं:-

- राज्य द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में सुधार की आवश्यकता है। राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यालय प्रंबधन समितियों का संचालन, शिक्षा से वंचित बच्चों बच्चों का विद्यालय में आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रयास, शैक्षिक उपलब्धि आदि को अनुश्रवण प्रपत्र में शामिल करने की आवश्यकता हैं। आर.टी.ई. के अनुसार ये प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण पहलू हैं। राज्य द्वारा केवल 35,885 (49%) विद्यालयों से संबंधित गुणवत्ता अनुश्रवण प्रपत्र की जानकारी भेजी गयी है। यह प्रयास प्रशंसनीय है। भविष्य में सभी विद्यालयों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है।
- राज्य में 496 (2%) प्रधानाध्यापक और 2347 (2%) शिक्षकों को विद्यालय के समय के दौरान कुछ भी नहीं करते पाया गया है। कुछ शिक्षक अपने निजी काम करते हुए भी पाए गए है। इस जानकारी के

आधार पर विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

- कक्षा संचालन के अवलोकन के विषय में दी गई जानकारी से यह ज्ञात होता है कि कुछ कक्षाओं में शिक्षक शिक्षण् की प्रक्रिया में लगे हुए नहीं पाए पाए गए। 9602 (8%) विद्यालयों में शिक्षक नहीं पढ़ा रहे थे। 5121 (4%) विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध् नहीं थे लेकिन फिर भी छात्र अध्ययन कर रहे थे। 1778 (2%) विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे और छात्र भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। इस स्थिति में शिक्षण कार्य के निरिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में संकुल तथा ब्लाक स्तर के अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण कर इस तरह के शिक्षकों को प्रेरित करें कि वे सुचारू रूप से कक्षा कक्षा का संचालन करें।
- राज्य में 2638 (7%) विद्यालयों में विद्यालय परिसर में साफ-सफाई असंतोषजनक पाया गया है। विद्यालय में फैली गंदगी का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अत: यह आवश्यक है कि राज्य

विद्यालय परिसर की सफाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत करें और शीध्र उपयुक्त कदम उठाए।

- विद्यालय अनुश्रवण प्रपत्र से मिली उपस्थिति जानकारी के अनुसार, केवल 2397 (7%) विद्यालयों में 80 प्रतिशत से उपर उपस्थिति हैं। शिक्षा की गुणवता में सुधार हेतु किए गए विभिन्न प्रयास विफल है यदि बच्चों के के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्वि लगातार न बनी रहे।
- राज्य में 8533 (24%) विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक सभी कक्षाओं एवं सभी छात्रों के लिए उपलब्ध् नहीं है। पाठ्य पुस्तकों के अभाव से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। अत: इस दिशा में आवश्यक एवं तुरंत कार्रवाही कार्रवाही की जरूरत है।
- कक्षा एक और कक्षा द्वितीय में शिक्षा की गुणवत्ता के अनुश्रवण् के संबंध से राज्य द्वारा उपलब्ध् कराई गई जानकारी के अनुसार कई विद्यालयों में बुनियादी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा रहा है। कई विद्यालयों में शिक्षक नामित नहीं है, शिक्षकों को पाठ्यक्रम की की जानकारी नहीं है और इसके फलस्वरूप पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा शिक्षण नहीं हो रहा है। कई विद्यालय ऐसे है जहाँ पिछडनेवाले बच्चों पर

ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि वर्षों से चल रहे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत किए कई कार्यो के बावजूद बावजूद अभी और भी गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

- भेजे गए विद्यालय अनुश्रवण प्रपत्र में केवल कक्षा तीन से आठ की अवलोकित कक्षाओं की संख्या दी गई है। इन कक्षाओं के संदर्भ में गुणवत्ता संबंधित अन्य मानकों के उल्लेख से शिक्षा की वास्तविक स्थिति समझने में और सहायता मिलती।
- एन.सी.ई.आर.टी. ने हाल ही में क्वालिटी मानिटरिंग टूल्स (QMTs) के लिए एक वेब पोर्टल (Web Portal) का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. को भेजें गए भरे हु एSTME की रिपोर्ट और उनपर एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रदान किए जाने वाले सुझाव उपलब्ध् है। यह पोर्टल पर http://www.ciet.nic.in/QMTs/index.php देखा जा सकता है।
- एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित कई दस्तावेजों को एन.सी.ई.आर.टी. की वेबसइट पर देखा जा सकता है।